राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1971/2024

द्वारिका प्रसाद शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्य कार्यालय कैम्पस, जेकब रोड, सिविल लाईन, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर सर्किल, भरतपुर।
6. एईएन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखंड, बयाना, जिला भरतपुर।
7. लेखाधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर सर्किल, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.06.2024
आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 में अपीलार्थी

के नाम पर मीटर रीडर कैडर में दिनांक 01.04.2023 से विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर–I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ प्रदान किये जावे तथा चयनित वेतनमान आदि का लाभ भी नियमानुसार दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चौकीदार के पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.01.1991 के द्वारा नियम, 1973 के अंतर्गत सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 02.02.1997 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां भी दी गई। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति दिनांक 03.08.1985 को की गई और उसे 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ तथा 27 वर्ष की सेवा होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 17.01.2017 के द्वारा दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्ष 1985 से कार्य कर रहा है और उसे वर्ष 1991 में सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया गया और उसे मीटर रीडर के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के पद के विरूद्ध पदोन्नत किया गया।

उनका कथन है कि अपीलार्थी मीटर रीडर के पद पर कार्य कर रहा है और उसकी सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं, परंतु उसे 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार न देते हुये गलत तरीके से दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी हैल्पर, फिटर ग्रेड द्वितीय, फिटर ग्रेड प्रथम, फोरमैन द्वितीय कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है लेकिन उसे मीटर रीडर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ कम दिया गया है और उसे मीटर रीडर का कार्य भी आवंटित नहीं किया गया। जबकि अन्य कार्मिक श्री मोहन सिंह जिसकी प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर हुई थी और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2023 के अनुसार बेलदार का नाम सहायक कर दिया गया और मोहन सिंह को फिटर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी मीटर रीडर के पद पर

पीएचईडी, बयाना उपखंड, जिला भरतपुर कार्य कर रहा है और एक अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 14.06.2023 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को मीटर रीडर के पद पर दर्शाया गया है। अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध दिनांक 05.04.2018 से मीटर रीडर के पद पर कार्य कर रहा है और अस्थायी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को मीटर रीडर के पद पर दिनांक 01.04.2023 से दर्शाया गया है, जिस पर अपीलार्थी ने आपत्ति दर्ज कराई, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को मीटर रीडर के पद पर दिनांक 01.04.2023 से दर्शाते हुये अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 जारी की गई, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध है। परंतु अंत में दिनांक 01.04.2023 के अनुसार जब वरिष्ठता सूची जारी की गई तो उसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी मीटर रीडर से अग्रिम उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 में अपीलार्थी के नाम पर मीटर रीडर कैडर में दिनांक 01.04.2023 से विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर–I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ प्रदान किये जावे तथा चयनित वेतनमान आदि का लाभ भी नियमानुसार दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अधीशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड भरतपुर के आदेश दिनांक 01.08.1985 के तहत चौकीदार के पद पर वेतन श्रृंखला 350–430 में की गई और दिनांक 03.08.1985 को कार्यग्रहण किया तथा आदेश दिनांक 29.01.1991 के द्वारा चौकीदार के पद से सहायक के पद पर पदोन्नति की गई तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 03.08.2003 को तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 03.08.2012 को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी

द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति ट्रेड विकल्प के आधार पर अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भरतपुर के आदेश दिनांक 05.08.2018 के द्वारा सहायक से मीटर रीडर प्रथम के पद पर पदोन्नति कर वर्ष 2016–17 आवंटित की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि वित्त विभाग के आदेश अनुसार अपीलार्थी को चौकीदार के पद पर, सहायक के पद पर क्रमशः नियुक्ति दी गई और सहायक के पद को क्रमोन्नत कर मीटर रीडर का पद किया गया। उनका कथन है कि विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.1998 के अनुसार प्रार्थी को वेतनमान 800–1250 से 950–1680 में पदोन्नत किया गया और दिनांक 01.02.1991 को फिटर द्वितीय का वेतनमान निर्धारित किया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 16.08.2016 की पालना में अपीलार्थी को मीटर रीडर प्रथम के पद पर दिनांक 05.04.2018 से पदोन्नत किया गया। उनका तर्क है कि मीटर रीडर प्रथम का कार्य एवं पद वित्त विभाग में प्रभावी नहीं बनाया गया और इस प्रकार पद एवं वेतन वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया और पद एवं कार्य विभाग में प्रभावी नहीं है और इस प्रकार मीटर रीडर प्रथम की अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 14.06.2023 गलत तरीके से जारी की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चौकीदार के पद पर नियमित वेतन श्रृंखला में हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.01.1991 के द्वारा नियम, 1973 के अंतर्गत सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 02.02.1997 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां भी दी गई। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति दिनांक 03.08.1985 को की गई और उसे 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ तथा 27 वर्ष की सेवा होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 17.01.2017 के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी वर्ष 1985 से कार्य कर रहा है और उसे वर्ष 1991 में सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया

गया और उसे मीटर रीडर के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के पद के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची दिनांक 28.08.2023 में अपीलार्थी के नाम पर दिनांक 01.04.2023 से मीटर रीडर कैडर में विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत नहीं करते हुये तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर–I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति ट्रेड विकल्प के आधार पर अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भरतपुर के आदेश दिनांक 05.08.2018 के द्वारा सहायक से मीटर रीडर प्रथम के पद पर पदोन्नति कर वर्ष 2016–17 आवंटित की गई। परंतु यह भी सही है कि अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति अधिकरण के आदेश दिनांक 16.08.2016 की पालना में प्रदान की गई है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्मिक श्री मोहन सिंह जिसकी प्रथम नियुक्ति बेलदार के पद पर हुई थी और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2023 के अनुसार बेलदार का नाम सहायक कर दिया गया और मोहन सिंह को फिटर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी भी सहायक के पद पर नियुक्त था और उसे मीटर रीडर के पद पर पदोन्नत करते हुये लाभ दिया गया। जबकि श्री मोहन सिंह को फिटर कैडर में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो हमारे मत में समान पद पर दोनों कार्मिक पदस्थापित होने के बावजूद अलग–अलग कैडर में नियुक्त किया जाना एवं वेतनमान में भी अंतर होना उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार समान पद पर एवं समान योग्यता के आधार पर दोनो कार्मिक समान पदोन्नति एवं वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः अपीलार्थी भी राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत फिटर-II, फिटर–I एवं फोरमैन द्वितीय के समान वेतनमान का लाभ जो कार्मिक श्री मोहन सिंह को प्रदान किये गये हैं, अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वरिष्ठता सूची दिनांक

28.08.2023 में मीटर रीडर कैडर में दिनांक 01.04.2023 से अपीलार्थी योग्य पाये जाने पर उसके नाम पर विचार करते हुये उसे अग्रिम पदोन्नति मीटर इंस्पेक्टर के पद पर नियमानुसार पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे तथा राजस्थान इंजीनियरिंग एलाईड पोस्ट सर्विस रूल्स, 1968 (धारा 29) के अंतर्गत अपीलार्थी को फिटर-II, फिटर–I एवं फोरमैन द्वितीय मानते हुये अपीलार्थी को समस्त पदोन्नति लाभ प्रदान किये जावे तथा चयनित वेतनमान आदि का लाभ भी नियमानुसार दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष